School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्रपत्र-2 (नियम 11 (4) देखिए)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (TIKAMGARH), मध्यप्रदेश

दूरभाष:- फैक्स: ई-मेल:

क्रमांक:/08040100/स्कूल आई.डी. - 24926 दिनांक:- 10/05/2017

प्रति,

प्रबंधक,

(CHRIST JYOTI SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -CHRIST JYOTI SCHOOL, NIWARI BHATA NIWARI

TIKAMGARH DIST. को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के अंदित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें पठित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देना जिस रूप में प्रतिपूर्ति आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (वि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध वि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्देश मानचित्र के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई डोनेशन/फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी अमानवीय पाठ्यचर्या को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के संदर्भ के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए रिक्ति की नई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि:
  - किसी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा,
  - प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विशेषज्ञ/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाविष्ट किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा,
  - प्राइवेट ट्यूशन के गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगेतथा।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मानदण्ड बनाए रखे जाएंगे। प्रविष्ट निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गईं:-

	सुविधाएँ	फॉर्म में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	91478	91478
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	11550	16120
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	81358	81358

ग. अधोसंरचना का विवरण

	कक्ष	Rooms as per	फॉर्म में दर्ज संख्या	फॉर्म में दर्ज औसत आकार (वर्ग फीट में)	वास्तविक स्थिति संख्या	वास्तविक स्थिति औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा 1वी तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		24	440	24	440
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-मुख्याध्यापक कक्ष		2	440	2	200
3	औजनामा-सह-भण्डार		1	500	1	220

घ. अन्य सुविधाएँ

		फॉर्म में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी भूतियाओं तक पहुंच मार्ग सहज है ? (हां/नहीं)	हां	हां
2	पाठ्य पाठ्य सामग्री (स्वतःप्रमाणित सूची अपलोड करें)	हां	हां
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (स्वतःप्रमाणित सूची अपलोड करें)	हां	हां
4	पुस्तकों की संख्या	3000	1200
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	12	12
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	25	15
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	24	12
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	24	12
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	2
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? (हां/नहीं)	हां	हां

- ऐसे सर्वेक्षित किए जाएंगे तथा चार्ट एकस्फूर्ट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर.08040100.. एवं डाईसकोड (UDISE) 23050315630 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर उल्लिखित किए जाएं।
- ऐसे रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा संन्यायिता शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के संविधान का मसौदा किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला TIKAMGARH मध्यप्रदेश